343 343

संख्याः 459/XXIV-3/16/02(28)15

प्रेषक,

रंजना
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 21 मार्च, 2016

विषयः **वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु पुर्नर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याःअर्थ–1/4250/5क(15)/01/2015–16, दिनांकः 24 फरवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, महोदय अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून उत्तराखण्ड के अन्तर्गत एस0सी0ई0आर0टी0 एवं सीमैट के वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, व्यावसायकि तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुर्नर्विनियोग के माध्यम से किये जाने हेतु संलग्न बी0एम0–09 प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या–11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में उल्लिखित मानक मद 01–वेतन, 03–महंगाई भत्ता, 27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि कमशः रू0 300हजार+ रू0 400हजार + रू0123 हजार=823 हजार एवं मानक मद 16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए में धनराशि रू0 150 हजार इस प्रकार कुल धनराशि रू0 973 हजार (रू0 नौ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए व्यय करने की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(क) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है एवं व्यय करते समय विभागीय तथा वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। संविदा/आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

(ख) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(ग) यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(घ) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 400/XXVII(1)/2015, दिनांकः 01.04.2015 एवं शासनादेश संख्याः पत्रांकः 1336/XXVII(1)/2015, दिनांकः 17 नवम्बर, 2015 एवं 1349/XXVII(1)/2015, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(ड़) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्याः–11** के अधीन **आयोजनागत पक्ष** के लेखा शीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 004–अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के अधीन संलग्नक बी0एम0–09 प्रपत्रों में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः422(P)XXVII(3)/2015–16, दिनांकः 16 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं

संलग्न :यथोक्त

भवदीया,

(रंजना)
अपर सचिव।

पृष्ठाकंन संख्याः459(1)/XXIV-3/16/02(28)15तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव,मा0 शिक्षा मंत्री,उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव,मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
10– वित्त विभाग (अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन।
11– कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
12– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।

343-A

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2015-2016)
बी .एम. - 09

अनुदान संख्या - 011
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 459/xxiv-3/16/02(28)15

अलोटमेंट आईडी - R1603110862
दिनांक - 17-Mar-2016

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्षक (1)		मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी	अभियुक्ति
	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 06 अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय 00 jn (Plan Voted)					2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पु 01 एस.सी.ई.आर.टी. की स्थापना(50 (Plan Voted)				
1	01 - वेतन	2900000	2175478	401522	323000	01 - वेतन	300000	22700000	2577000	
2	03 - महंगाई भत्ता	3000000	2404016	95984	500000	03 - महंगाई भत्ता	400000	25400000	2500000	
						27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	123000	373000		
	योग				823000	योग	823000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी

(व्योमकेश)
अनु सचिव
विद्यालयी शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

अ0शा0सं0– 422 (P)/xxvii(3)2015–16, दिनांक 16 मार्च,2016

सेवा में,

महालेखाकार (ए एंड ई)
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम ब्योमकेश दूबे,अनु सचिव.....
प्रशासनिक विभाग ....माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3
संख्या 459/XXIV–3/16/02(28)15------दिनांक .....मार्च,2016

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम (अर्जुन सिंह)
वित्त विभाग ..... अपर सचिव-वित्त
उत्तराखण्ड शासन

निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4– वित्त (व्यय नियत्रण) वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम .....

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2015-2016)
बी .एम. - 09

अनुदान संख्या - 011
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 459/xxiv-3/16/02(28)15

अलोटमेंट आईडी - R1603110864
दिनांक - 17-Mar-2016

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्षक (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी	अभियुक्ति
	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 03 सीमेट की स्थापना (0101 से स्थानान्तरि 00 सीमेट की स्थापना (Plan Voted)				2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 03 सीमेट की स्थापना (0101 से स्था 00 सीमेट की स्थापना (Plan Voted)			
1	11 - लेखन सामग्री और फार्मों क 150000	0	0	150000	16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं 150000	1150000	0	
	योग			150000	योग 150000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी

(श्यामकेश दुबे)
अनु सचिव
विद्यालयी शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

अ0शा0सं0– 422 (P)/xxvii(3)2015–16, दिनांक 16 मार्च,2016

सेवा में,

महालेखाकार (ए एंड ई)
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम ब्योमकेश दूबे,अनु सचिव.....
प्रशासनिक विभाग ....माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3
संख्या 459/XXIV–3/16/02(28)15------दिनांक .....मार्च,2016

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम .....
वित्त विभाग .....

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव-वित्त
उत्तराखण्ड शासन

निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4– वित्त (व्यय नियत्रण) वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम .....